हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

कार्यसूची

ग्यारहवां सत्र

शुक्रवार, 11 मार्च, 2016/21 फाल्गुन, 1937(शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. **प्रश्नोत्तर:**

(1) **तारांकित :**

दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

(2) **अतारांकित :**

दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. **कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे :**

श्री अनिल कुमार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री, निम्न दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(i) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 की उप धारा (5) के अन्तर्गत पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए पंचायती राज संस्थाओं के लेखों की संपरीक्षा रिपोर्ट, वर्ष 2013-14; और

(ii) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 186 की उप धारा (4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन), संशोधन नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्या:.पीसीएच-एच(1)1/2015 दिनांक 28.10.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 06.11.2015 को प्रकाशित ।

3. <u>सदन की समितियों के प्रतिवेदन :</u>

(1) **श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2015-16),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-

(i) समिति का **128वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 73वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **वन विभाग** से सम्बन्धित है ; और

(ii) समिति का **129वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 32वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग** से सम्बन्धित है ।

(2) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2015-16),** समिति का **52वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 (वाणिज्यिक) के पैरा संख्या 3.2 की संवीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी ।

(3) **श्री राकेश कालिया, सभापति,जन-प्रशासन समिति, (वर्ष 2015-16),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-

(i) समिति का **21वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि **खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है; और

(ii) समिति का **22वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि **खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग** की गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित है ।

4. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:

श्री सतपाल सिंह सत्ती, जिला ऊना के गोंदपुर जयचन्द में वन तस्करों को पकड़ने गए वन अधिकारियों व कर्मचारियों पर हुए जानलेवा हमले" से उत्पन्न स्थिति की ओर **वन मन्त्री** का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

5. नियम-61 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा:

श्री वीरेन्द्र कंवर, "दिनांक 2 मार्च, 2016 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 2693 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर चर्चा करेंगे ।

शिमला-171 004
दिनांक: 10 मार्च, 2016

सुन्दर सिंह वर्मा,
सचिव ।

*****

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)